कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री रमेश चन्द लाखीवाल म0 नं0 ए–44 गीजगढ विहार के पीछे गली नं0–6 बाईस गोदाम जयपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (कोषाधिकारी) कोष कार्यालय दौसा, जिला दौसा
अपील सं0 44 / 2019

निर्णय दिनांक : 15.10.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (कोषाधिकारी) दौसा, जिला दौसा को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना / नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना / नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर अपीलांट ने यह अपील निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त कार्यालय द्वारा अपीलांट की अपील को आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत पत्रांक आरटीआई / डी.टी.ए. / 2019–20 / 1431 दिनांक 18.09.2019 द्वारा इस न्यायालय मे सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (कोषाधिकारी) दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति पत्रांकः डी0एम0 / कोर्ट / आरटीआई / 2019 / 2293 दिनांक 26.09.2019 द्वारा प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल / सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (कोषाधिकारी) दौसा द्वारा उनके पत्रांक कोष / कैश / 2019–20 / 208 दिनांक 14.10.2019 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलांट को उक्त पत्र के पृष्ठांकित प्रति द्वारा सूचना भिजवाया जाना अंकित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को वॉछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official